राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3563／2024	योगेश कुमार शर्मा एवं अन्य	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 4. जिला परिषद् जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर। 5. जिला परिषद् कोटा जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटा। 6. जिला परिषद् सवाईमाधोपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सवाईमाधोपुर। 7. पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा जरिये विकास अधिकारी, सवाईमाधोपुर। 8. पंचायत समिति बामनवास जरिये विकास अधिकारी, सवाईमाधोपुर। 9. जिला परिषद् बारां जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बारां। 10. जिला परिषद् बून्दी जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बून्दी। 11. पंचायत समिति केशोरायपाटन जरिये विकास अधिकारी, बून्दी। 12. जिला परिषद् बाड़मेर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाड़मेर। 13. पंचायत समिति सिवाना जरिये विकास अधिकारी, बाड़मेर। 14. पंचायत समिति सामदड़ी, जरिये विकास अधिकारी, बाड़मेर। 15. पंचायत समिति कल्याणपुर, जरिये विकास अधिकारी, बाड़मेर। 16. पंचायत समिति पाटोदी, जरिये विकास अधिकारी, बाड़मेर। 17. जिला परिषद् नागौर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर। 18. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी खिवसर। 19. जिला परिषद् अलवर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अलवर। 20. पंचायत समिति नीमराना जरिये विकास अधिकारी, अलवर। 21. पंचायत समिति बानसूर, जरिये विकास अधिकारी, अलवर। 22. जिला परिषद् करौली जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली। 23. पंचायत समिति सपोटरा, जरिये विकास अधिकारी, करौली। 24. जिला परिषद् भरतपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर। 25. पंचायत समिति कुम्हेर, जरिये विकास अधिकारी भरतपुर। 26. पंचायत समिति नगर जरिये विकास अधिकारी, भरतपुर। 27. जिला परिषद् धौलपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धौलपुर। 28. पंचायत समिति बसेड़ी, जरिये विकास अधिकारी, धौलपुर। 29. जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ जरिये मुख्य कार्यकारी

			अधिकारी, चित्तौड़गढ़। 30. पंचायत समिति भसरोड़गढ़, जरिये विकास अधिकारी भसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़। 31. पंचायत समिति सांगोला, जिला बून्दी।
2.	4124 / 2021	ईमी चन्द	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् गंगानगर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी अनूपगढ़, श्रीगंगानगर।
3.	4125 / 2021	समीर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् गंगानगर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी अनूपगढ़, श्रीगंगानगर।
4.	5768 / 2021	जगमोहन शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बारां। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी छबड़ा, बारां।
5.	5769 / 2021	कन्हैया लाल सक्सेना	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटा। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी खेराबाद, कोटा।
6.	5771 / 2021	ओमी @ ओम प्रकाश हरिजन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सवाईमाधोपुर। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी सवाईमाधोपुर।
7.	5790 / 2021	जगदीश कुशवाह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बारां। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी, छबड़ा, बारां।
8.	6047 / 2021	पारस मल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाड़मेर। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी सिवाना बाड़मेर।
9.	6048 / 2021	सुनित कुमार सैन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बारां। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी छबड़ा, बारां।
10.	6049 / 2021	हेमराज चन्देल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छिपाबड़ोद, बारां। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी, खेराबाद, बारां।
11.	6050 / 2021	रजाक मोहम्मद	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

			2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बारां। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी छबड़ा, बारां।
12.	6051/2021	राजेन्द्र कुमार कोली	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बारां। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी अटरू, बारां।
13.	6173/2021	सत्यनारायण सुमन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बारां। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी, अन्ता, बारां।
14.	4818/2022	जगदीश महतर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटा। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी सुल्तानपुर कोटा।
15.	1406/2023	बाबूलाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद् जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटा। 3. पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी सुल्तानपुर कोटा। ।

आदेश की दिनांक :

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अवीश मौर्या, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 3563/2021 योगेश कुमार शर्मा एवं अन्य की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 08.01.2018 (अनुलग्नक–1) द्वारा एक परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा दी जा रही छुट्टियां आदि और अन्य लाभ वापस लेने का आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7938/2021 दायर की, जिसके तहत माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है। इसलिए, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता राजस्थान सिविल सेवा

अपीलीय अधिकरण के समक्ष संयुक्त अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी को चुंगी नाकेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थियों द्वारा दो दशकों से अधिक समय से सेवाएं दी जा रही हैं और कोई भी उम्मीदवार 10 वर्ष से कम अवधि के लिए काम नहीं कर रहा है। सेवा की अवधि पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थियों को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश जारी किया (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अलग–अलग तिथियों में आदेश पारित किये गये। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 07.07.2017 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थियों के वेतन से नियमित कर्मचारियों की भांति कोई भी राशि नहीं काटने का आदेश जारी किया। अपीलार्थीगण दिनांक 01.08.1998 से पहले संबंधित ग्राम पंचायत से चुंगी कर वसूलने के लिए कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। दिनांक 01.08.1998 से राज्य सरकार ने चुंगी को समाप्त कर दिया और दसवीं कक्षा की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और शेष कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में समायोजित किया गया। राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतनमान नहीं बल्कि उन्हें नियमित करने के आदेश जारी किये हैं। अपीलार्थियों को कोई वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दी गई और पेंशन योजना के लिए उनकी कटौती नहीं की गई। न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार ने 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले सभी उम्मीदवारों की जानकारी भी मांगी थी और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा 27.12.2016 (अनुलग्नक–5) द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि 589 चुंगी कर्मचारियों को बनाया जाना है जिनके पास कक्षा–5 की योग्यता है, जिसके लिए संबंधित जिला परिषद से प्रस्ताव देने को कहा गया है। इस संबंध में पूर्व में कैबिनेट के निर्णय के आधार पर दिनांक 27.11.2016 को आदेश जारी किया गया था (अनुलग्नक–6)। उसके बाद दिनांक 02.02.2017 को एक आदेश जारी किया गया (अनुलग्नक–7)। न्यूनतम वेतनमान देने के क्रम में नियमित वेतनमान नहीं दिया गया। अपीलार्थियों द्वारा पिछले कई वर्षों यानी लगभग तीन दशकों से अधिक समय से प्रदान की गई सेवाओं पर विचार नहीं किया गया और उन्हें प्रारम्भिक सेवा से या कम से कम दिनांक 01.08.1998 से न्यूनतम वेतनमान के बराबर वेतन से वंचित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 08.01.2018 को एक परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा दी जा रही छुट्टियाँ आदि और अन्य लाभ वापस लेने का आदेश दिया गया है। इसी तरह का विवाद माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट संख्या 11509/2011 लाला राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में न्याय निर्णय दिनांक 21.01.2021 (अनुलग्नक–8) के फैसले द्वारा (Covered) आवृत्त किया गया है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के निर्णय से व्यथित हैं, जिसमें कोई वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर शामिल होने के बाद ही न्यूनतम वेतनमान का लाभ

दिया जा रहा है और आगे छुट्टियों का लाभ भी छीन लिया गया है, जो पहले दी जा रही थी।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.01.2018 एवं 07.07.2017 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 01.08. 1998 से गणना करते हुए उसी के अनुसार सेवा संबंधित लाभ परिलाभ मय एरियर के देय किए जाने हेतु प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया जावे।

प्रत्यथी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने परिपत्र दिनांक 08.01.2018 तथा 07.07.2017 निरस्त किये जाने के अनुतोष में उक्त अपील प्रस्तुत की गई है विधि अनुसार परिपत्र निरस्त किए जाने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम एवं नियमों के तहत माननीय अधिकरण को क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण हस्तगत अपील पोषणीय नहीं होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने अपील में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विनिश्चयों का अंकन किया गया है उक्त विनिश्चय अपीलार्थीगण के प्रकरण पर चस्पा नहीं होने तथा class-iv नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अनुसार उक्त तिथी से ही विधि अनुसार लाभ प्राप्ति का अधिकारी होने तथा अपील में अंकित के कारण उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम और नियमों के तहत संयुक्त अपील का प्रावधान नहीं है तथा अलग–अलग आदेश और अलग–अलग बाद कारण उत्पन्न होने के कारण भी विधि अनुसार उक्त संयुक्त अपील पोषणीय नहीं है। साथ ही संयुक्त अपील प्रस्तुतकर्ता अपीलार्थीगण राज्य कर्मचारी भी नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चुंगी अधिशेष के रूप में पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा में हुई थी। वर्ष 1998 में चुंगी समाप्त होने के पश्चात चुंगी संग्रहण में लगे सभी अधिशेष कार्मिकों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बिना वार्षिक वेतन वृद्धि दिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय वेतनमान का न्यूनतम वेतन भत्ते दिए जाने हेतु नियुक्ति प्रदान की गई। इसके उपरान्त समस्त अपीलार्थीगण समस्त वेतन भत्तों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 27.12.2016 को जारी की गई थी, जिसमें 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले सभी उम्मीदवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित रखे जाने का प्रावधान रखा गया परन्तु उक्त विज्ञप्ति का लाभ नहीं दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका

संख्या 6469/2020 कन्हैया लाल नाई बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा अधिशेष कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए गए है, जिसका प्रासंगिक अंश निम्न प्रकार हैः–

"A co-ordinate Bench of this Court while adjudicating similar controversy in the case of **Lala Ram Saini v the State of Rajasthan and Ors. S.B. CWP No.11509/2011**, held as follows:

"This Court vide order dated 29.04.2013 allowed the petitioner to amend his prayer clause and as per his application for amendment, he had sought that he may be regularized on the post of Class-IV. It is an admitted position that the State Government has issued a notification on 27.02.2009 directing for regularizing of all the employees who were working as Class-IV on similar post on temporary basis or even those who were appointed on irregular basis.

This Court in the case of Magan lal Damore Versus State of Rajasthan: SBCWP NO.6038/2013 decided on 09.08.2016 examined the similar controversy in the light of the circular of the State Government and found that such cases where regularization is rejected of employees working on temporary basis for more than 10 years long time were unjustified. In the said case, the order of rejecting prayer for regularization by the Government was quashed and set aside and directions were given to regularize the petitioner's services in the light of the circular dated 27.02.2009 upon having completed 10 years of uninterrupted service.

I have thoughtfully considered the facts of the present case and finds that the petitioner, admittedly as per the reply of the respondents, was working since 02.03.1983 as Bagwan (Gardner) (3 of 3) [CW-11509/2011] with the Panchayat Samiti and therefore, he can be said to have completed uninterrupted service from 1983 all throughout till he attained superannuation on 31.07.2020. Having rendered almost 37 years of service with the respondents, one cannot say that the service was on temporary basis. Such long service has to be treated as substantive service and the petitioner will be deemed to have been regularized in the light of the circular issued by the State Government. Any action on the part of the State or its authorities cannot deprive of person for claiming substantive right for the service which he has rendered with them. It is also noticed that he has been appointed vide order dated 24.9.1982 by Gram Panchayat, Bansur to work as a Bagwan (Gardner) as there is an appointment order and continuity of service.

This court directs the respondents to treat the petitioner as regularly appointed Class-IV employee and further directs to release the petitioner's pension and retiral benefits treating him as Class-IV employee on substantive basis from 1983 up till date of retirement. The consequential benefits arising out of the above

order shall also be released. The exercise shall be completed within a period of three months."

In the light of the aforequoted precedent judgment and pecuilar facts and circumstances of the case the respondents are directed to regularise services of the petitioner from the date of initial appointment as a class-IV employee. Further, respondents are directed to release the pension and other retiral benefits in favour of the petitioner with all consequential benefits. However, it is made clear that the petitioner shall not be entitled to claim any arrears of pay as a consequence of pay-fixation in the pay-scale applicable for class-IV employees.

In the result, the writ petition is allowed.

No order as to costs."

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आपत्ति रही है कि संयुक्त अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। संयुक्त अपील प्रस्तुतकर्ता राज्य कर्मचारी भी नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

दोनों पक्षों के कथनों पर विचार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को संयुक्त अपील प्रस्तुत करने की छुट दी है। अतः संयुक्त अपील के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

अपीलार्थीगण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे है और उन्हें नियमित किए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई एवं वर्तमान में भी अपीलार्थीगण न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित किए जाने के संबंध में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को नियमित करने के समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में समस्त व्यक्तियों को नियमित किए जाने के आदेश पारित किए गए है। अतः समस्त अपीले स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6469/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 में माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को जो लाभ प्रदान किया गया उसी प्रकार का लाभ वर्तमान प्रकरणों के अपीलार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 27.12.2016 को ध्यान में रखते हुए दिए जावे।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3563/2021 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)